न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34 / 2021	15 / 04 / 2021	07/०५ / 2025

1. श्रीमती दुलारी बाई उम्र 60 वर्ष पत्नि परसराम जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादी

बनाम

1. पूनीबाई पत्नि स्व. हजारी जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. गायत्री बाई पुत्री हजारी पत्नि हरिओम जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मुकाम खेडा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वकील वादीः– श्री श्याम बैरवा एड0
वकील प्रतिवादीः– श्री कमल बंसल एड0

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम
निर्णय दिनांक 07/०५/२५

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रम 1 के पति व प्रतिवादी क्रम 2 के पिता हजारी पुत्र भवरलाल मीणा निवासी गुडला के खाते की जमीन मुताबिक जमाबन्दी संवम्त 2067–70 व सम्वत् 2071 – 74 खसरा नं. 169 रकबा 0.91 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि वर्णित जमाबन्दीयों में प्रतिवादीगण 1 व 2 के, पिता पति हजारी के खाते दर्ज है। यह कि प्रतिवादी क्रम 1 के पति व 2 के पिता हजारी ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण और रुपयों की अन्य कई से व्यवस्था नहीं होने के कारण मृतक खातेदार हजारी मीणा ने वर्णित खाते की भूमि को बेचान करना उचित समझा। मृतक खातेदार हजारी मीणा व उसकी पत्नि प्रतिवादी क्रम 1 व उसकी पुत्री प्रतिवादी क्रम 2 जमीन बेचने के लिए वादीया के पति व वादिया के पास आया कि मुझे रुपयों की सख्त आवश्यकता है। और मुझे रुपये दे दो और मेरी जमीन को खरीद लो। मृतक खातेदार हजारी ने 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रुपये की आवश्यकता बताते हुये वादीया से जमीन बेचान करने का सौदा कर लिया, और दिनांक 19–6–2012 को उपपंजीयन कार्यालय उपतहसील खातौली में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा मृतक खातेदार हजारी ने अपने खाते की वर्णित भूमि को उसके वारिसान पत्नि प्रतिवादी क्रम 1 व पुत्री प्रतिवादी क्रम 2 की सहमति से वादीया क्रेता के नाम बेचान कर बेचान कीमत दो लाख रुपये रुबरु गवाहान नगद प्राप्त कर वर्णित आराजी को वादीया के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया और उक्त वर्णित आराजी के मौके पर वादीया को कब्जा संभला दिया गया। बेचान दिनांक 19–6–2012 से ही वादीया व उसका पति उक्त क्रय की गई वर्णित आराजी पर निर्बाध रुप से शांति पूर्वक वर्तमान तक काबिज काश्त चले आ रहे

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

है। यह कि वादीया द्वारा क्रय की गई ग्राम गुडला की खसरा नं. 169 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि पर विक्रय पत्र के माध्यम से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष निवेदन किया तो उक्त भूमि पर एस.बी.बी.जे पीपल्दा का रहन दर्ज होने के कारण उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हो सका। कुछ समय व्यतीत होने के कारण मृतक खातेदार विक्रेता हजारी की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने यह जानकारी होते हुये भी की मृतक खातेदार हजारी ने उक्त वर्णित भूमि को कीमत दो लाख रुपये में वादीया को दिनांक 19–6–2012 को बेचान कर दिया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने विक्रय पत्र के तथ्य को छुपाते हुये हल्का पटवारी के समक्ष सत्य बात नहीं बताते हुये उक्त वर्णित भूमि के मृतक खातेदार विक्रेता हजारी के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने इन्तकाल नं. 210 से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को विधिक अधिकार प्राप्त नही है। जबकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को यह जानकारी थी की मृतक खातेदार हजारी ने वर्णित आराजी को बेचान कर दिया है। जिसका नामान्तरण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को अपने नाम से खुलवा कर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त नही था। क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 के पति व 2 के पिता मृतक हजारी ने दिनांक 19–6–2012 को उक्त भूमि को वादीया को बेचान कर दिया था। यह कि प्रतिवादी क्रम 3 तहसीलदार पीपल्दा व उसके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी केथूदा ने बिना किसी गहन जानकारी के व गांव वालों की पूछताछ के बिना ही वर्णित आराजी पर मृतक खातेदार विक्रेता हजारी के स्थान पर उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। जबकि मृतक खातेदार हजारी द्वारा बेचान की गई भूमि पर मृतक हजारी के स्थान पर क्रेता वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदामद किया जाना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी क्रम 3 व उसके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारीयों ने बिना किसी जानकारी के प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम मृतक खातेदार हजारी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जिसका प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को खातेदार दर्ज होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि वादीया को यह अधि कार प्राप्त है कि नामान्तरण संख्या 210 से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का दर्ज किया गया नाम माननीय न्यायालय की सहायता से दुरुस्त करवा कर ग्राम गुडला की खसरा नं. 169 की रकबा 0.91 हैक्टर पर अपना नाम दर्ज करावे। यह कि वादीया द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कहा गया कि आप लोगों ने मेरे द्वारा क्रय की गई भूमि पर गलत नाम दर्ज करवा लिया है। उक्त भूमि पर मेरा ही नाम दर्ज होगा। आप तहसील कार्यालय में चल कर अपना नाम उक्त भूमि से दुरुस्त करवा कर मेरा नाम दर्ज करवा दो। लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादीया द्वारा हर बार किये गये निवेदन को अनसुना कर दिया और अपना नाम वाद पत्र में वर्णित आराजी से दुरुस्त करवाने से मना कर दिया तत्पश्चात् वादीया द्वारा तहसीलदार पीपल्दा से खाता दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया लेकिन तहसीलदार पीपल्दा ने अपने कार्य क्षेत्र का प्रकरण नहीं बता कर दिनांक 2–4–2021 को वादीया का नाम खाते में दर्ज करने से मना करने पर दिनांक 2–4–2021 को वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है। यह कि प्रतिवादी क्रम 3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार पीपल्दा को वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है जिसने खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने हेतु व

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी

है। यह कि वादीया द्वारा क्रय की गई ग्राम गुडला की खसरा नं. 169 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि पर विक्रय पत्र के माध्यम से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष निवेदन किया तो उक्त भूमि पर एस.बी.बी.जे पीपल्दा का रहन दर्ज होने के कारण उक्त विक्रय पत्र का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हो सका। कुछ समय व्यतीत होने के कारण मृतक खातेदार विक्रेता हजारी की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने यह जानकारी होते हुये भी की मृतक खातेदार हजारी ने उक्त वर्णित भूमि को कीमत दो लाख रुपये में वादीया को दिनांक 19–6–2012 को बेचान कर दिया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने विक्रय पत्र के तथ्य को छुपाते हुये हल्का पटवारी के समक्ष सत्य बात नहीं बताते हुये उक्त वर्णित भूमि के मृतक खातेदार विक्रेता हजारी के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने इन्तकाल नं. 210 से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को विधिक अधिकार प्राप्त नही है। जबकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को यह जानकारी थी की मृतक खातेदार हजारी ने वर्णित आराजी को बेचान कर दिया है। जिसका नामान्तरण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को अपने नाम से खुलवा कर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त नही था। क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 के पति व 2 के पिता मृतक हजारी ने दिनांक 19–6–2012 को उक्त भूमि को वादीया को बेचान कर दिया था। यह कि प्रतिवादी क्रम 3 तहसीलदार पीपल्दा व उसके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी केथूदा ने बिना किसी गहन जानकारी के व गांव वालों की पूछताछ के बिना ही वर्णित आराजी पर मृतक खातेदार विक्रेता हजारी के स्थान पर उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। जबकि मृतक खातेदार हजारी द्वारा बेचान की गई भूमि पर मृतक हजारी के स्थान पर क्रेता वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदामद किया जाना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी क्रम 3 व उसके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारीयों ने बिना किसी जानकारी के प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम मृतक खातेदार हजारी के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जिसका प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को खातेदार दर्ज होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि वादीया को यह अधि कार प्राप्त है कि नामान्तरण संख्या 210 से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का दर्ज किया गया नाम माननीय न्यायालय की सहायता से दुरुस्त करवा कर ग्राम गुडला की खसरा नं. 169 की रकबा 0.91 हैक्टर पर अपना नाम दर्ज करावे। यह कि वादीया द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को कहा गया कि आप लोगों ने मेरे द्वारा क्रय की गई भूमि पर गलत नाम दर्ज करवा लिया है। उक्त भूमि पर मेरा ही नाम दर्ज होगा। आप तहसील कार्यालय में चल कर अपना नाम उक्त भूमि से दुरुस्त करवा कर मेरा नाम दर्ज करवा दो। लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादीया द्वारा हर बार किये गये निवेदन को अनसुना कर दिया और अपना नाम वाद पत्र में वर्णित आराजी से दुरुस्त करवाने से मना कर दिया तत्पश्चात् वादीया द्वारा तहसीलदार पीपल्दा से खाता दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया लेकिन तहसीलदार पीपल्दा ने अपने कार्य क्षेत्र का प्रकरण नहीं बता कर दिनांक 2–4–2021 को वादीया का नाम खाते में दर्ज करने से मना करने पर दिनांक 2–4–2021 को वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है। यह कि प्रतिवादी क्रम 3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार पीपल्दा को वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है जिसने खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने हेतु व

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार पीपल्दा को लैण्ड होल्डर होने के कारण धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का खाते में नाम होने के कारण उक्त वर्णित आराजी को अन्य बेचान करने की संभावना होने के कारण व समयाभाव होने के कारण मामला अर्जेन्ट नेचर का हो जाने से नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसलिए धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया जो संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाके माल ग्राम गुडला पटवार मण्डल केथूदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की खसरा नं. 169 रकबा 0.91 हैक्टर कृषि आराजी में दर्ज प्रतिवादी क्रम 1 पूनीबाई पत्नि स्व. हजारी जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा व प्रतिवादी 2. गायत्री बाई पुत्री हजारी जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. का नाम खाते से दुरुस्त किया जाकर उनके स्थान पर वादीया श्रीमती दुलारी बाई उम्र 60 वर्ष पत्नि परसराम जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. को खातेदार घोषित किया जाकर वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे तथा पालना हेतु प्रतिवादी क्रम 3 को आदेशित किया जावे।
यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वादीया के वाद पत्र में वर्णित आराजी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा उत्पन्न नहीं करें और न ही ऐसा कृत्य अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे।

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीक्रम 2 की ओर से श्री राजेन्द्र मीणा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीक्रम 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीक्रम 1 की मृत्यु होने से का0 मु0 का प्रा0 पत्र पेश किया। का0मु0 का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीक्रम 2 को जवाब के कई अवसर दिए गए लेकिन जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद करके एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वादी द्वारा पी0डब्ल्यू1 दूलारी बाई, पी0डब्ल्यू 2 रामकरण, पी0 डब्ल्यू0 3 रामनिवास के साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किए गए।
वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। वकील वादी द्वारा की गई बहस व प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुडला पटवार हलका कैथूदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी ख0सं0 169 रकबा 0.91 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.91है0 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादीक्रम 1 पुनीबाई पत्नि हजारी जाति मीना, प्रतिवादीक्रम 2 गायत्री बाई पुत्री हजारी जाति मीना निवासीगण गुडला का नाम खाते से विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीया श्रीमति दुलारी बाई पत्नि परसराम जाति मीना निवासी गुडला तह0 पीपल्दा जिला कोटा

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

राज0 को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम दुरूस्त किया जाकर वादीया का नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहन को यथावत रखते हुए वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34 / 2021	15 / 04 / 2021	07/04/2025

1. श्रीमती दुलारी बाई उम्र 60 वर्ष पत्नि परसराम जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादी

बनाम

1. पूनीबाई पत्नि स्व. हजारी जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. गायत्री बाई पुत्री हजारी पत्नि हरिओम जाति मीणा निवासी गुडला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मुकाम खेडा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वकील वादीः– श्री श्याम बैरवा एड0

वकील प्रतिवादीः– श्री कमल बंसल एड0

वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 07/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुडला पटवार हलका कैथूदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी ख0सं0 169 रकबा 0.91 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.91है0 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादीकम 1 पुनीबाई पत्नि हजारी जाति मीना, प्रतिवादीकम 2 गायत्री बाई पुत्री हजारी जाति मीना निवासीगण गुडला का नाम खाते से विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादीया श्रीमति दुलारी बाई पत्नि परसराम जाति मीना निवासी गुडला तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम दुरूस्त किया जाकर वादीया का नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहन को यथावत रखते हुए वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किया जावे।तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 07/04/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा